कार्यालय अंचल अधिकारी,गाण्डेय (गिरिडीह)

अभिलेख संख्या– 01/2020–21
अभिलेख का प्रकार– विविध वाद

अनवर मियाँ
बनाम
दाउद मियाँ

आदेश – फलक

15.03.22

यह वाद अनवर मियाँ, पिता– स्व0 रूसतम मियाँ, ग्राम–फुलजोरी, थाना–गाण्डेय के शिकायत पत्र पर दाउद मियाँ, पिता–स्व0 दिदार मियाँ, ग्राम–फुलजोरी, थाना–गाण्डेय के विरूद्ध निम्न विवरण की जमीन पर वाद दायर किया गया।

विविादित भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
फुलजोरी	407	25	1271	37डी0

प्रथम पक्ष का शिकायत है कि मेरा खरिदगी जमीन अन्दर खाता नं0–25 प्लॉट नं0–1271 ,रकवा–37डी0, केवाला नं0–132, दिनांक 14.09.1968 हासील है जिसे दाउद मियाँ लाठी के बल पर हड़पना चाहता है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र की जॉच राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराया उनके प्रतिवेदनानुसार मौजा–फुलजोरी के खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–1271, बकास्त खाते की भूमि है। अनवर मियॉ वो बाबु इनताज मियाँ, पिता–रूस्तम मियॉ को खाता नं0–25 प्लॉट नं0–1271, रकवा–0.37ए0 एवं अन्य भूमि केवाला संख्या 18468, दिनांक 14.09.1968 के द्वारा हासील है। दाउद मियाँ के द्वारा खाता नं0–25, प्लॉट सं0–1271 पर कूप निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पुनः राजस्व उप निरीक्षक ने उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्षों को पक्ष रखने हेतु मौका दिया गया।

प्रथम पक्ष का दावा है कि वादगद भूमि मेरा खरीदगी भूमि है लेकिन गॉव का दबंग व्यक्ति दाउद मियाँ द्वारा जाली कागजत तैयार कर हड़पना चाहता है। अपने दावे के समर्थन में केवाला संख्या 18468, दिनांक 14.09.1968 का छायाप्रति प्रस्तुत किया।

द्वितीय पक्ष का दावा है कि वादगद भूमि मेरे दखल कब्जा में है जो प्रथम पक्ष (अनवर मियाँ) स्वंय और उनका सगा भाई बाबु इनताज मियाँ, पिता–स्व0 रूस्तम मियाँ, साकिन–फुलजोरी ने मेरे अब्बाजान बाबु दिदार मियाँ वो मेरे चाचाजान चान्दो मियाँ, पिता–स्व0 गुलाब मियाँ, साकिन–फुलजोरी के साथ डीड नं0 10855, वर्ष 1972 एवं डीड नं0 9461, दिनांक 13.11.1976 से जमीन विक्री कर दिया है। क्रय तिथि से वादगत भूमि पर दखलकार हुँ जिसपर मेरा कूँआ एवं मकान बना हुआ है। प्रथम पक्ष के द्वारा तंग तवाह करने हेतु वाद दायर किया गया है, जो Maintainable नहीं है। अपने पक्ष के समर्थन में मौजा–फुलजोरी, खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–1271, एवं 1270 कुल रकवा 44डी0 जमीन का एक केवाला के Index की सत्यापित प्रति एवं दुसरे केवाला की सत्यापपित कॉपी की प्रति तथा ऑफलाईन लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत किया।

विचारणीय तथ्य– विपक्षी द्वारा प्रस्तुत केवाल संख्या 10855 वर्ष 1972 एवं केवाला संख्या 9461 दिनांक 13.11.1976 के अनुसार प्रथम पक्ष अनवर मियॉ एवं उनका भाई बाबु इनताज मिया बिक्रेता है।

अतएव अभिलेख में संचित उभय पक्षों का कागजात, साक्ष्यों एवं राजस्व उप निरीक्षक /प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि वादी का आरोप तथ्यपरक नहीं हैं। प्रथम पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

Digitally signed by SAFI ALAM
Date: 2022.04.01 11:56:13 +05:30
Location: 192.168.1.100

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखपित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।